न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 84/2017

प्रकाश कौर पत्नी हकीकतसिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ । —— अपीलार्थी

बनाम

1. किरणपाल कौर पत्नी रेशमसिंह जाति जटसिख निवासी गांव पतली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (रेस्पो. संख्या 1 से 5 का नाम आदेश दिनांक 19.01.2018 से विलोपित किया जाकर किरणपालकौर जोड़ा गया)
2. जगदेवसिंह पुत्र निरंजनसिंह
3. कलवंतसिंह पुत्र जोगेन्द्रसिंह
4. मिठुसिंह उर्फ प्रीतमसिंह
5. बलकरणसिंह पुत्र दुलासिंह
6. विजय सिंह पुत्र सुखदेवसिंह
7. बगासिंह पुत्र सुखदर्शनसिंह
8. जगसीरसिंह पुत्र मिठुसिंह उर्फ प्रीतमसिंह
9. रणधीर सिंह पुत्र मिठुसिंह उर्फ प्रीतमसिंह

   जाति जटसिख निवासी पतली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
10. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर।

—रेस्पोडेन्टान

अपील अर्न्तगत धारा 223 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी सादुलशहर दिनांक 27.03.2017

उपस्थितिः—

श्री दिनेश छाबड़ा अभिभाषक अपीलार्थी

श्री तेजासिंह अभिभाषक रेस्पो संख्या

12/8/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

श्री इकबालसिह सिद्धु, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय **दिनांक :– 12.03.2018**

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी सादुलशहर के समक्ष घोषणा, बंटवारा एवं बेदखली का जोरासिंह के परिवार की वंशवली दर्शाते हुए पेश कर कथन किया कि वादीगण के ताया गुरदेवसिंह 1985 में लावल्द फोत हो गया था। वादीगण का ताया हकीकतसिंह की भमि विरासतन प्रकाशकौर पत्नी व पुत्री भिन्द्रकौर के नाम दर्ज हुई, भिन्द्रकौर का भी देहान्त हो गया है। इन दोनों के अलावा कोई वारिस नहीं है। इस प्रकार गुरदेवसिंह के प्रथम श्रेणी के कोई वारिस नहीं थे। वाद पत्र के पैरा संख्या 3 में 10.179 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 8 के नाम 1.860 है0 दर्ज है। पैंरा संख्या 2 में दर्ज भूमि हकीकतसिंह व हरनेकसिंह के वारिसों के नाम दर्ज होनी थी लेकिन सहवन से समस्त भूमि हकीकतसिंह के वारिस प्रकाशकौर अकेली के नाम दर्ज हो गई। वादीगण द्वारा अपने हिस्से की भूमि पर काश्त की जा रही है लेकिन प्रतिवादी संख्या 8 के नाम में बदयान्ति हो गई जो भूमि को खुर्द बुर्द करने की फिराक में है यदि ऐसा करने में वह सफल हो गई तो वादीगण के हितों पर कुठाराघात होगा। अतः निवेदन है कि वादपत्र के अनुतोष की मद संख्या क व ख के अनुसार डिक्री किया जावे।

वाद पेश होने पर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादी सं. 2 से 10 के विरूद्ध दिनांक 30.01.2015 को एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए दिनांक 27.03.2017 को वादीगण का वाद स्वीकार कर लिया जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधी.न्यायालय द्वारा वाद पेश होने पर पहले नोटिस प्रतिवादीगण के नाम से जारी किये गये उसके पश्चात वादीगण के प्रार्थना पत्र पर नोटिस समचार पत्र में साया करवाने के आदेश दिये

12/4/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
(राज.)

गये जबकि नियमानुसार रजि. समन जारी होने के पश्चात ही समाचार पत्र में साया करवाने के आदेश दिये जाने चाहिए थे। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश की दी जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर प्रकरण पक्षकारों को सुनकर निर्णय देने हेतु अधी.न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण जगसीरसिंह व रणधीरसिंह ने अधी.न्यायालय मे प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 4 व 13 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर रखा है जिसमें धारा 212 आरटीए का प्रार्थना पत्र पेश कर स्थगन प्राप्त कर रखा है। अधी.न्यायालय ने पहले नोटिस जारी किये लेकिन प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया एवं वादीगण द्वारा समाचार पत्र में नोटिस साया करवाने का प्रार्थना पत्र पेश करने पर, समाचार पत्र में नोटिस साया करवाने के पश्चात प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर अधी.न्यायालय ने सुनवाई करने के पश्चात वाद स्वीकार कर लिया जिसमें कोई त्रुटि नहीं होने से अपील खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 27.03.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 19.06.2017 को पेश की है जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उनका जबाव रेस्पो. ने पेश कर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का खंडन किया है। चूंकि अधी.न्यायालय ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए वाद का निर्णय किया है। ऐसी स्थिति में न्यायहित में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करना उचित समझते हुए अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाता है।

12/4/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपीलार्थी ने जिन पद चिन्हों पर चलकर अपील पेश की है उसमें प्रथम उसे अधी.न्यायालय द्वारा सुना नहीं गया है, द्वितीय हरनेकसिंह मलकीतसिंह के गोद चला गया है इसलिए लाऔलाद फोत गुरदेवसिंह की सम्पति के हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानों अनुसार हकीकतसिंह एवं उसके वारिसान ही बनते है परन्तु अधी.न्यायालय द्वारा गुरदेवसिंह की सम्पति हकीकतसिंह एवं हरनेकसिंह के वारिसान में डिकी की जो अपास्त योग्य है। अकेले हकीकतसिंह के वारिसान अपीलांट के ही नाम होने योग्य है जिसका प्रतिकार करते हुए अभिभाषक रेस्पो. ने जाहिर किया कि अधी.न्यायालय ने पहली बार साधारण नोटिस , दुबारा रजिस्टर्ड ए.डी. से तामील एवं स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन से विधिवत तामील होना रेकार्ड से साबित है। वही गोदनामा के सम्बन्ध में जाहिर किया कि हरनेकसिंह के गोद जाने सम्बन्धी कोई गोदनामा न तो परीक्षित हुआ और न ही प्रदर्श लगे तथा जिस दस्तावेज को आधार मानकार गोद जाना जाहिर किया कि वह नामान्तरणकरण की छाया प्रति है जो साक्ष्य में ग्राहय नहीं है तथा अभिभाषक रेस्पो. द्वारा यह भी जाहिर किया कि पश्चातवर्ती नामान्तरणकरण में हरनेकसिंह को गोदपुत्र नहीं माना है, तदानुसार अपील खारिज करने का अनुतोष चाहा ।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन करने के पश्चात यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि एक पक्षीय निर्णय का विधिक विकल्प सीपीसी के आदेश 9 नियम 13 में उपलब्ध है जिसके तहत चाराजोही की जा सकती है तथा अपीलांट का गोद जाने का कथन भी साक्ष्य सबूतों द्वारा साबित नहीं है। इसलिए अधी. न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप की गोई गुंजाइस नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/3/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर